कार्मिक (क–2) विभाग

15

क्रमांक :– 5(51)/ कार्मिक/ क–2/88 जयपुर, दिनांक 20 अप्रेल, 2001

समस्त विभागाध्यक्ष
(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को यथा संभव उसी विभाग में जहां पर कि मृतक राज्य कर्मचारी नियोजित /कार्यरत था नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान विद्यमान है ।

(1)

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि आवेदनकर्ता ने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसी पद पर उसको नियुक्ति दी जावे। आवेदनकर्ता को विभाग के वेतनमान संख्या 1 से 9ए तक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले किसी भी रिक्त पद पर, जिसके लिये वह पात्र हो, नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत पहुँचाना है । अतः कार्मिक विभाग को आवेदन पत्र उसी स्थिति में अग्रेषित किया जाना चाहिये जबकि विभाग में उसकी योग्यता के अनुरूप वेतनमान संख्या 1 से 9ए तक का कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो ।

इस संदर्भ में समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों का ध्यान उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम (5) तथा (6) की ओर पुनः आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष आश्रित को यथा संभव अपने विभाग में ही नियुक्ति देगा । यदि आवेदित पद रिक्त न हो किन्तु निम्नतर वेतनमान का पद तुरन्त उपलब्ध हो, तो निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जावेगा और आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद की प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नपद स्वीकार करे ।

नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही नहीं की जाकर आवेदकों के प्रार्थना पत्र कार्मिक विभाग को इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि आवेदित पद रिक्त नहीं है । यह प्रकिया उचित नहीं है । अतः मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को प्रेषित करने से पूर्व प्रकरण के संबंध में इस पत्र के नीचे अंकित प्रारूपमें प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।

15

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरण उक्त प्रमाण–पत्र के साथ कार्मिक विभाग को उसी स्थिति में अग्रेषित किये जावें जबकि उनके अपने विभागों में वेतन श्रृंखला 1 से 9ए के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाला कोई भी पद रिक्त नहीं हो अथवा आवेदनकर्ता उसके लिए पात्र नहीं हो ।

कृपया उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना किये जाना सुनिश्चित करावें ।

17/2001

19/4/2001

(अशोक सम्पतराम)

शासन सचिव

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में वेतनमान संख्या 1 से 9ए के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले निम्न पद सृजित हैं :

1

2

3

4

5

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वर्णित कोई भी पद इस विभाग में रिक्त नहीं है अथवा उक्त रिक्त पदों के लिए आवेदनकर्ता पात्र नहीं है । अतः प्रकरण कार्मिक विभाग को अन्य विभाग में नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रेषित है ।

ह0 विभागाध्यक्ष